



JEEVAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY

KHAIR ROAD, LODHA, ALIGARH - 202140 (U.P.)

Approved by Pharmacy Council of India and AICTE New Delhi,
Affiliated to Board of Technical Education Lucknow.

Ph: 0571-2213536, 2213536

Ph: 0571-2213535, 2213536

Email: prmo@jjpi.ac.in

Ref. No. JJP/2022/09/206

Date: 24/09/2022

सेवा हे:

श्रीमान डॉक्टर/सहस्र अधीक्षक
आर्यभट्ट किरा, मन्दिर्
सम्बन्धक, काशी।

विषय:- एक 2022-23 ई। विषय हे सम्बन्धक विषय प्राप्त किरी करे के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपके सम्बन्धक के पत्रक का प्राप्ति, तारीख, 2022/24/09, दिनांक 02.09.2022 के पत्र में आपकी अपील करना है कि फैसली/आदेश द्वारा प्राप्त अनुसंधान विषय के अनुसंधान में हमारी संस्था जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और सीई लोधा, अलीगढ़ में वर्ष 2022-23 ई। में आपकी शीर्षक सम्बन्धक विषय दिनांक 02.09.2022 का Declaration of 171 LL में कर दिया गया जिसकी प्रति जो के साथ संलग्न है।

आप शीघ्र ही से निवेदन है कि फैसली/आदेश की दिरली प्राप्त करना सम्बन्धक विषय की प्रति आपकी कार्यालय में करवा करे है। कृपया हमारी संस्था के वर्ष 2022-23 ई। सम्बन्धक प्रदान करने की कृपा करें।
हमारे आभारपूर्ण आभारों के साथ प्रेषित है।

संस्था आपकी अति आभारी रहेगी।

संलग्न:-

1. फैसली/आदेश द्वारा प्राप्त Declaration of 171 LL की प्रति।
2. सम्बन्धक विषय द्वारा प्राप्त अनुसंधान की प्रति।


Dr. Arun Kumar
Principal
Jeevan Jyoti Institute of Pharmacy
Khair Road, Lodha, Aligarh

EC No. / Item No./ Institution Name (ID/ Course)	Examining Authority / Hospital	Decisions of 371 EC (RR-2023)
<p>371 EC/4 UP-568/ 2022-2023</p> <p>Ram Farsh Institute Of Vocational And Technical Education Deptt. Of Pharmacy Karna Road Knowledge Park-1 Greater Noida Gautam Buddh Nagar /</p> <p>PCI - 1716</p> <p>B.Pharm D.Pharm M.Pharm</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh.</p> <p>B.Pharm& M.Pharm The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow</p>	<p>D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for 60 admissions of D.Pharm course.</p> <p>B.Pharm B.Pharm course is already approved upto 2022-2023 academic session for 100 admissions.</p> <p>M.Pharm M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry)-15</p>
<p>371 EC/5 UP-570/ 2022-2023</p> <p>Sai Meer College Of Pharmacy Farakhabad Road Chhitravan DhanKamari</p> <p>PCI - 1852</p> <p>B.Pharm D.Pharm</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p> <p>B.Pharm The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow</p>	<p>D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for 60 admissions of D.Pharm course.</p> <p>B.Pharm Grant approval for 2022-2023 academic session for 60 admissions for the conduct of 4th year B.Pharm course.</p> <p>Allow 60 admissions in 2022-2023 academic session in 1st year.</p> <p>Regarding institution's request for change of address, it was noted that institution has failed to submit following statutory documents for change of address / location Consent of affiliation of the Examining Authority as per new name.</p> <p>In view of above, change of address / location is not permissible.</p>
<p>371 EC/6 UP-587/ 2022-2023</p> <p>Shri Durgam SriyaleMatarvidyalaya 221, unnapur road, Katri, BARABANKI, 225126</p> <p>PCI - 3761</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p>	<p>D.Pharm Extend approval up to 2022-2023 academic session for D.Pharm course.</p> <p>Reduce intake from 60 to 40 from 2022-2023 academic session as the institution has failed to appoint faculty as per statutory provisions of</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions

EC No. / Item No. Institution Name /ID/ Course	Examining Authority / Hospital	Decisions of 371 EC (B.R.2023)
Institute Of Paramedical Manjari Devi Road Chintan Lucknow 56, Deva Road, Chintan, LUCKNOW, 226028 PCI - 803 D.Pharm	U.P State Medical Faculty Sarvrajn Mall Avenue Road Lucknow	upto academic session 2022-2023. Reduce intake from 60 to 40 from 2022-2023 academic session for D.Pharm course as the institution has failed to appoint qualified faculty, failed to maintain faculty cadre ratio and disburse salary as per statutory provisions of - <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. • Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy.
371 EC/26 EP-792/ 2022-2023 Ishyapuri Anand Memorial Mahavidyalaya NA, BELTHARA TO BALLIA MAIN ROAD, BELTHARA ROAD, BALLIA, 221733 PCI - 1988 D.Pharm	D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Gurga Ground Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for 60 admissions for D.Pharm course. It was noted that institution has failed to appoint required number of qualified faculty as per statutory provisions and failed to disburse salary of teaching faculty as per statutory provisions of. <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. • Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy It was further decided to instruct the institution to submit the compliance with documentary evidences (Form 16) of each faculty, appointment of required number of qualified faculty as per statutory provisions. D.Pharm It was noted that institution has failed to submit NOC of State Government for D.Pharm course. In view of above, it was decided to reject the application for D.Pharm course. <div style="text-align: right; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> [Signature] Joint Secretary of Pharmacy Govt. of U.P., Lucknow </div>
371 EC/27 EP-793/ 2022-2023 Jeevan Jyoti Institute Of Pharmacy Khair Road Lucknow	D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Gurga	D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for 60 admissions for D.Pharm course

EC No. / Item No. Institution Name (ID/ Course)	Examining Authority / Hospital	Decision of JTI EC (R.R.2023)
<p>Item No. 202140 / PCI - 1012 D.Pharm</p>	<p>Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p>	
<p>ITI EC-438 UP-794/ 2022-2023 Bharthiawala Institute Of Medical Sciences Vill/Una Tehsil Sadar Dist Faizabad NA, miharpur,und, Vill- Haraspur,tehsil- Sadar, FAIZABAD, 224112</p> <p>PCI - 1015</p> <p>D.Pharm B.Pharm</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Gura Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p>	<p>B.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for 60 admissions for D.Pharm course.</p> <p>B.Pharm It was noted that institution has failed to appoint faculty and facilities are not provided as per statutory provisions of -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. • The Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) Course Regulations, 2014. <p>In view of above, it was decided to reject the application for B.Pharm course.</p>
<p>ITI EC-429 UP-795/ 2022-2023 Maharaja Harishchandra College Of Higher Education Vill/Gaunkhara Teh/Saswaryapur/da a/ardal 241 125 /</p> <p>PCI - 1269</p> <p>D.Pharm</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Gura Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p>	<p>D. Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for D.Pharm course Reduce intake from 60 to 40 from 2022-2023 academic session for D.Pharm course, as per statutory provisions and failed to disburse salary of teaching faculty as per statutory provisions of -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. • Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy
<p>ITI EC-430 UP-796/ 2022-2023 Metro College Of Health Sciences & Research Plot No 41 Kpili Gh Nagar Formerly Known As Metro College Of Pharmacy Plot No 41 Kpili Gh Nagar</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Gura Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p> <p>B.Pharm and M.Pharm</p>	<p>D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for 60 admissions for D.Pharm course.</p> <p>B.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for 100 admissions for B.Pharm course.</p>

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश जलानऊ

संख्या: प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तारखतः दिनांक: 09/09/2021

कार्यालय द्वारा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कन्वन्शन और इम्पियु, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उ.प्र.) जलानऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अखिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संश्लिष्ट संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. जलानऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1926-JIVAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY, KHAIR ROAD, LODHA, ALIGARH

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए-आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए-आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश अखिल शिक्षा परिषद एच. 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमताली 1992, संश्लिष्ट विनियमताली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा कुलक निदेशिका समिति द्वारा विधायित कुलक तीन वर्षों इतनी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष कुल ही प्रत्येक वर्ष/वर्षों से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों से कुलक के सम्बन्ध में समय-समय पर जानने द्वारा निर्मित किये जाने वाले छात्रवृत्तियों प्रस्तावों होगी, और उदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्णय समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो वीस की नवीनतम रहे लागू होगी।
- ✓ संस्था को उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समिति तथा उप समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमताली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समूचा प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित छात्रवृत्तियों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता कुलक चला करना होगा।
- ✓ संस्था को ए-आईसीटीआई/पीसीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनये गये विधिनियमों/संश्लिष्ट विनियमों/संश्लिष्ट विनियमों एवं निर्देशों, प्राविधिक शिक्षा

Eshaj
Joint JEE Institute of Pharmacy
Khaire Road, Lodha, Aligarh

उपरोक्त, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल द्वारा बनाये गये निम्नलिखित विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कक्षा होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि गी.सी.आई. आई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में अपना उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुक़्त टाकर किया जाता है तथा टाकर खाट के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की उत्तिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था उत्तिपूर्ति संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व वेबसाइट आईटो से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कम्युनिकेशन के माध्यम से अस्था संस्था को परीक्षा प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशानुसार अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साधन-सामान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनक, आवास सुनक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिक्षण हेतु उपयुक्त साधनसामान उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक रिकॉर्डों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संयोजित पाठ्यक्रम को सफल करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भावन, तालीफ, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की समझौता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भावन, प्रायोगिकाल, उपकरण एवं अन्य सामक-सामान का आईटीआई/आईएनआई/आईएच/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाता है तो संस्था की समझौता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ समझौता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

फ़ोन- प्राविधपरिषद संस्था/द्वारा/2021/2528-4009

दिनांक: 09/08/2021

प्राविधिक

प्रधानकार्यानिदेशक, JYAN JYOTI INSTITUTE OF PHARMACY, KHAIR ROAD, LOOHA, ALIGARH


(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव



